

NOC LETTER

Registration no: (22213142021821125730) Date: (0) Valid till: (0)



विद्या शिक्षा प्रदायिका कागजात | BEGUSARAI

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

दिनांक - 01.07.2022



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

RTS VIDYAPEETH

Behind G D college

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा निष्पादनी के नियम 11 के अंतर्गत विद्यालय की प्रसूति का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक: 21-06-2021 और उसके क्रम में आये कि बच्चे प्रमाण पत्र विद्यालय के बिना गए निरीक्षण एवं शिक्षा स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक: 01-07-2021 के निर्णय के अंतर्गत में आपके विद्यालय RTS VIDYAPEETH, Behind G D College, Ratnapur, 851101 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 0 से 21-06-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रसूति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूति निम्न बच्चों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसूति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के अंदर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा निष्पादनी 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अक्षाधिकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परंतु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. केबिनर 3 में उल्लेख बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सौभाग्यी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का केबिनेशन फ्रीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उस प्रमाण पत्र के अनुपस्थित नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा DCE, फार्म, अन्य स्थान आदि कार्यों या दस्तावेजों से किसी एक कार्रवाई के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में सेकंडर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का वार्षिक टेस्ट नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा की नियम 22 के अंतर्गत में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम पोषण के अनुस्यू किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्धारण करेगा।

ATTESTED

Manish

PRINCIPAL

RTS VIDYAPEETH, BEGUSARAI

ATTESTED

Shubham Kumar

21-Jun-22, 9:19 AM

Manager

RTS Vidyapeeth